<u>न्यायालय:— न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला—अशोकनगर</u> (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 2351030003482016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—372/16</u> संस्थापित दिनांक—20.09.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :—
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।

बिरुद्ध

01—जगन्नाथसिह पुत्र विजयसिह यादव आयु 37 वर्ष

02—भरतसिह पुत्र विजय सिह यादव आयु 30 वर्ष
निवासीगण ग्राम बामोर हुर्रा तहसील चंदेरी जिला
अशोकनगर म0प्र0

शारोपीगण

राज्य द्वारा :— श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :— श्री अंशुल श्रीवास्तव अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u> :— (आज दिनांक 15.03.2018 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324, 323, 504,34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में कोई उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादिव की धारा 323, 504,34 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी भगवानिसह ने दिनांक 03.01.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 03.01.16 समय 10:00 बजे बामोर हुर्रा चंदेरी अशोकनगर में आरोपीगण उसके खेडे की बागड पटा रहे थे मना करने पर आरोपीगण गालियां देने लगे तथा कुल्हाडी से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगणके विरुद्ध अपराध क्रमांक 42/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 324, 323, 504,34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 323, 324, 504 34 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 03.01.16 को समय 10 बजे फरियादी के खोडा के पास बामौर हुर्रा चंदेरी पर फरियादी भगवान को कुल्हाडी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न कमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 भगवानसिह, अ.सा.2 कप्तानसिह, अ.सा.3 वालकुवंरबाई, अ.सा.4 धनुषराम, अ.सा.5 इंद्रपाल, अ.सा.6 डॉ एस पी सिद्धार्थ, अ.सा.7 एल आर पैकरा की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 भगवानिसह एवं अ.सा.2 कप्तान सिंह ने अपने कथन में बताया है कि वे आरोपीगण को जानते है। अ.सा.1 के अनुसार घटना दिनाक को आरोपीगण उसके खेडे की बागड पटा रहे थे जब उसने मना किया तब आरोपीगण गालियां देने लगे तथा कुल्हाडी से मारपीट की। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प0पी01 लेखवद्ध कराई थी। इसी प्रकार अ.सा.2 के अनुसार आरोपीगण ने कुल्हाडी से मारपीट की थी तथा झगडा किया था। अ.सा.2 ने इस बात को स्वीकार किया है कि वह एवं फरियादी एक ही समाज के है। अ.सा.2 के अनुसार जब वह मौके पर पहुचा तो दोनो पक्ष आपस में लडाई कर रहे थे। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि दोनो आरोपीगण साथ—साथ नहीं थे। अ.सा.1 के अनुसार वह बेहोश हो गया था वही अ.सा.2 ने इसके विपरीत बताया है कि अ.सा.1 बेहोश नहीं हुआ था।

09— अ.सा.3 वालकुवरबाई ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनाक को उसके पित के साथ आरोपीगण का वाद विवाद हो गया था तथा धक्का मुक्की हो गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसके पित गिर गये थे तथा उनको चोट आई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने कुल्हाडी से फरियादी के साथ मारपीट की। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से भी इंकार किया है। अ.सा.4 हंसराम एवं अ.सा.5 इंद्रपाल पक्षद्रोही हो गये है। उक्त दोनो साक्षीगण के अनुसार उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा.4 ने इस बात से इंकार किया है

कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने फरियादी के साथ मारपीट की थी। अ.सा.5 ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष जप्ती की कार्यवाही हुई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष कुल्हाडी जप्त की गई थी।

- 10— अ.सा.६ डॉ एस पी सिद्धार्थ ने अपने कथन में बताया है कि दिनाक 03.01. 16 को उनके द्वारा आहत भगवान का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर एक चोट पाई थी। उक्त साक्षी के अनुसार आहत को आई चोट धारदार हथियार से आना प्रकट हो रही थी। अ.सा.७ एल आर पैकरा ने अपने कथन में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में नक्सा मौका प्र0पी02 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा साक्षीगण के कथन लेखवद्ध किये गये थे एवं आरोपीगण को गिरप्तार किया गया था। अ.सा.७ के अनुसार उसने प्रकरण में प्र0पी0० के अनुसार कुल्हाडी जप्त की थी।
- 3.सा.1 एवं अ.सा.2 के अनुसार आरोपीगण ने उन्हें कुल्हाडी से मारा था। अ.सा.6 डॉ एस पी सिद्धार्थ जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है की साक्ष्य से यह प्रकट हो रहा है कि घटना दिनाक को आहत को चोट आई थी जो किसी धारदार वस्तु से आई थी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में जप्ती पत्रक प्र0पी07 का साक्षी पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी द्वारा इस बात से इंकार किया गया है कि घटना दिनाक को उसके समक्ष कुल्हाडी जप्त की गई थी। अ.सा.1 एवं अ.सा.2 के कथनों मे विरोधाभास है। अ.सा.2 के अनुसार दोनो आरोपीगण एक ही समय पर नहीं थे। अ.सा.2 के अनुसार फरियादी बेहोश नही था एवं अ.सा.1 के अनुसार वह बेहोश हो गया था। इस प्रकार दोनो साक्षीगण की साक्ष्य मे विरोधाभास है।
- 12— प्रकरण में घटना के एक ओर चक्षुदर्शी साक्षी अ.सा.4 पक्षद्रोही हो गया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा.3 जो कि फरियादी की पत्नी है पक्षद्रोही हो गई है। उक्त साक्षी के अनुसार फरियादी को गिरने

से चोट आई थी। उक्त साक्षी ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य से इंकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपीगण ने कुल्हाडी से मारपीट की थी। किसी भी प्रकरण में अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने का भार होता है। प्रस्तुत प्रकरण में न केवल अ.सा.1 एवं अ.सा.2 की साक्ष्य में विरोधाभास है विल्क प्रकरण का एक महत्वपूर्ण साक्षी जो कि फरियादी की पत्नी है ने फरियादी के कथनों के एकदम विपरीत कथन किया है। अभियोजन के अनुसार अ.सा.3 घटना की चक्षुदर्शी साक्षी है तथा उक्त साक्षी की साक्ष्य को महत्व न देना समीचीन नहीं है।

- 13— प्रकरण में अभियोजन के अनुसार आरोपीगण ने कुल्हाडी से मारपीट की थी। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कुल्हाडी की जप्ती को अभियोजन प्रमाणित करने में असफल रहा है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है तथा फरियादी की साक्ष्य का अनुसर्मथन फरियादी की पत्नी द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह के परे प्रमाणित करना चाहिए तथा संदेह की स्थिति में आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में भी अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को संदेह का लाभ देते हुए भादिव की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 14— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 15— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे की कुल्हाडी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।
- 16— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा

428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)